335

संख्या–3488 /XVIII-(2)/14-01(07)/2010

प्रेषक,

आर. मीनाक्षी सुन्दरम्,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC),
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2015**

विषयः– आपदा प्रबन्धन के अंतर्गत क्षमता विकास कार्यो हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–610/DMMC/XIV-18(2012), दिनांक 24 सितम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डी.एम.एम.सी. को क्षमता विकास से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–20 की अवधि हेतु निर्धारित राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (NDRF) की नवीन गाइड लाईन्स में एस.डी.आर.एफ. मद में वार्षिक आवंटन के 5% धनराशि को क्षमता विकास कार्यो हेतु उपयोग किये जाने का प्राविधान के तहत शासनादेश संख्या–1102, दिनांक 18 जून, 2015 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी। तत्क्रम में द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 1.00 करोड़ (₹ एक करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरित कर व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2– स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बिलों में सचिव, आपदा प्रबन्धन से प्रति हस्ताक्षरित कराकर कोषागार से आहरण किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि का लेखा–जोखा डी.एम.एम.सी. द्वारा ही रखा जायेगा।

4– धनराशि का स्वीकृत मदों से भिन्न मदों में अथवा गलत उपयोग होने पर अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी., सम्बन्धित विभाग/एजेन्सी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

5– व्यय करते समय प्रोक्योरमेंट रूल्स, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्ययता विषयक शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय की यथासमय सम्परीक्षा किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6– धनराशि स्वीकृत किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ ही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व कार्य के औचित्य एवं आवश्यकता पर सम्यक विचार कर लिया जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि को दिनांक 31.03.2016 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

8— उक्त पर होने वाला कुल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 के आय—व्ययक अनुदान संख्या—6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)—आयोजनेत्तर—800—अन्य व्यय—00—13—आपदा राहत निधि से व्यय—42—अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

9— यह आदेश वित्त अनुभाग—5 के अ.शा.संख्या—137 NP/XXVII(5)/2015—16, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 में दी गई सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

संलग्नक—यथोपरि:

भवदीय,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव

संख्या5488 (1)/XVIII-(2)/15-01(07)/2010, **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4— अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5— कोषाधिकारी, देहरादून।
6— बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
7— राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
8— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— वित्त अनुभाग—5
10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

29-10-2015

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव

शासनादेश संख्या-3488 /XVIII-(2)/2015-01(07)/2015, दिनांक अक्टूबर, 2015 का संलग्नक

क्र. सं.	मद	धनराशि (₹ लाख में)				
		प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त	चतुर्थ किस्त	कुल वार्षिक किस्त
1	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण/ आयोजित क्षमता विकास कार्यक्रम	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00
2	आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/क्षमता विकास कार्यक्रम	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00
3	जागरूकता कार्यक्रमों, एवं मॉकड्रिल पर व्यय	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00
4	आपदा प्रबन्धन विषयक राजकीय कार्मिकों हेतु आयोजित प्रशिक्षण पर व्यय	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00
5	न्याय पंचायत पर 10 दिवसीय खोज बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
6	अभियन्ताओं/राजमिस्त्रियों हेतु भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण तकनीकी पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
7	जी.आई.एस. प्रयोगशाला का उच्चीकरण/मानव संसाधन पर व्यय	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
8	घातकता व जोखिम आंकलन एवं स्थलीय सर्वेक्षण पर व्यय	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
9	शोध एवं विभागीय प्रकाशन पर व्यय	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00
10	आवश्यक मानव संसाधनों पर व्यय	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
	कुल योग	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**400.00**

(₹ एक करोड़ मात्र)

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव
5-10-2015